UPPG010000831999

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर)/विशेष न्यायाधीश, (ई.सी.एक्ट),प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा) जे०ओ०कोड०–यू.पी.1713

विशेष परीक्षण संख्या–79/1999

राज्य उत्तर प्रदेश। .... **अभियोगी**

बनाम

1. **प्रदीप सिंह** सुत स्व. गिरेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी विजईमऊ, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़,
2. **अनूप सिंह** सुत महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी सराए नैनकुअर (धौरेहट), थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़,
3. **बृजेश सिंह** सुत पन्ना सिंह निवासी हिसामपुर थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़। **(उपशमित)**

........**अभियुक्तगण**

मु०अ०सं०–22/1999

धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट

थाना–संग्रामगढ़, **जिला–**प्रतापगढ़।

शिकायतकर्ता	श्री फैजउद्दीन सिद्दीकी
अभियोजन पक्ष की ओर से	विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) श्री अम्बिकेश मणि त्रिपाठी
अभियुक्तगण की ओर से	श्री जितेन्द्र सिंह एडवोकेट
मुकदमा अपराध संख्या	22/1999
थाना	संग्रामगढ़
जिला	प्रतापगढ़
घटना का दिनांक	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	03.02.1999
प्रसंज्ञान की तिथि	09.08.1999
अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचन की तिथि	03.12.2015
अभियुक्त बृजेश सिंह के विरुद्ध वाद उपशमित की तिथि	16.04.2022
अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	29.07.2022, 18.09.2023, 06.12.2023, 13.03.2024
अभियुक्तगण के बयान 313 दं.प्र.सं. की तिथि	25.03.2026
अंतिम बहस की तिथि	16.07.2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	23.07.2026

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.23 16:37:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
पी०डब्लू० 1	मो. सईद	---	---
पी०डब्लू० 2	फैजउद्वीन सिद्दीकी	तहरीर, गैंगचार्ट	प्रदर्श क–1, प्रदर्श क–2
पी०डब्लू० 3	रिटायर्ड निरीक्षक मानसिंह यादव	मूल आरोप पत्र	प्रदर्श क–3
पी०डब्लू० 4	सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी विजय शंकर तिवारी	---	---

सफाई साक्ष्य	कागज संख्या 10ख अ.सं. 18/1999 धारा 384,323,506 भा.दं.सं. से संबंधित प्रश्नोत्तरी की प्रति एवं कागज संख्या 11ख अ.सं. 19/1999 धारा 504,506,427 भा.दं.सं. में पारित निर्णय दिनांकित 13.01.2017 की प्रति

निर्णय

1. प्रस्तुत विशेष सत्र वाद में अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** के विरूद्ध पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 22/1999,अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर संज्ञान लेकर विचारण प्रारम्भ किया गया।

2. **लिखित फर्द/तहरीर** के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि एस.आई. फैजुद्दीन सिद्दीकी मय हमराही कां. 81 प्रमोद कुमार यादव, कां. 159 राधेश्याम तिवारी रवानाशुदा रपता रपट तारीख इमरोजा से वापस आकर एक अदद जाँच रिपोर्ट बीट सूचना दाखिल किया। विवरण जाँच निम्न प्रकार है। एस.आई. मय हमराही कर्मचारीगण के बीट सूचना रपट नं. 30 समय 21.15 दिनांक 03.02.99 की जाँच की गयी तो मालूम हुआ कि ग्राम विजईमउ थाना स्थानीय का प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह का एक संगठित गिरोह है, जिसके साथी अनूप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह ग्राम धौरेहट थाना संग्रामगढ़ व बृजेश सिंह सुत पन्ना सिंह ग्राम हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ है, जो आपराधिक कार्यों में क्रियाशील व लुप्त रहा करते हैं। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों का एक संगठित गैंग है जो एक साथ मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप एवं अनैतिक कार्यों को किया करते हैं तथा अवैध रूप से धनार्जन किया करते हैं। इनके द्वारा जघन्य अपराध करना सामान्य बात है। हिंसा व धमकी देते हुए मारपीट करके लूट करना जैसा अपराध इनके लिए मामूली बात है। इनके द्वारा भा.दं.वि. के धारा 17 व 22 के अधीन प्रायः अपराध किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्र रूप अपना कार्य व व्यापार नहीं करने दिया जाता है तथा उन्हें डरा, धमका कर मार–पीट कर लूट पाट का अपराध कारित किया जाता है। इनके डर व आतंक के कारण कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत नहीं कराता है। यदि किसी ने साहस भी किया तो उन लोगों को नामजद नहीं कराता है और कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। इनका एक संगठित गिरोह है जो आपराधिक कार्यों में लिप्त रहा करते हैं और समाज विरोधी क्रिया कलाप करते रहते हैं। आम जनता के लोग इनके आतंक से भयभीत रहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा इनके गैंग को दिनांक 02.02.99 को पुष्ट किया गया है। गैंगचार्ट संलग्न है। अभियुक्तगण गण प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह की गैंग को संसुति प्राप्त हुई है और अभियुक्तगण मिलकर एक से अधिक अपराध कारित किये हैं

जिसका विवरण निम्न है। 1. दिनांक 23.01.99 को समय 11.30 बजे दिन में अभियुक्तगण प्रदीप सिंह, अनुप सिंह व बृजेश सिंह व ग्राम हिसामपुर के गोविन्द प्रसाद पाण्डेय पुत्र बचई राम पाण्डेय के के राइस मील पर जीप से जाकर राइस मिल में घुसकर उनके नौकर को मारपीट करके एक सादे कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवाये और पुनः कुण्डा कचहरी जाकर वादी के लड़के को जान मारने की धमकी दिये। घटना की सूचना श्री गोविन्द प्रसाद पाण्डेय ने थाने पर दिया, जिस पर मु.अ.सं. 18/99 धारा 384, 323, 506 व 452 आई.पी.सी. का कायम किया गया। 2. दिनांक 23.01.99 को समय 23 बजे प्रदीप सिंह, बृजेश सिंह. अनूप सिंह एक राय होकर पुनः गोविन्द प्रसाद पाण्डेय ग्राम हिसामपुर जाकर अभियुक्तगण गाली–गुप्ता व धमकी देते हुए उनके दरवाजे खड़ी एक मारूती वैन के सामने व पीछे का शीशा व ट्रैक्टर के हेड लाईट के शीशे को तोड़ डाले। वादी ने घटना की सूचना लिखित किया जिस पर मु.अ.सं. 19/99 धारा 427, 504, 506 आई.पी.सी. का कायम किया गया। इसके अतिरिक्त गैंगलीडर प्रदीप सिंह के विरुद्ध मु.अ.सं. 279/88 धारा 354 आई.पी.सी., 2. 137/97 धारा 323, 506 आई.पी.सी., 3. 145/97 धारा 3(1) यू.पी. गुण्डा एक्ट व 20/99 धारा 3(1) यू.पी. गुण्डा एक्ट व एन.सी.आर. नं. 55/97 धारा 323, 504 आई.पी.सी. का पंजीकृत है। इस प्रकार अभियुक्तगण प्रदीप सिंह, बृजेश सिंह, अनूप सिंह आदि का एक संगठित गैंग है। इस प्रकार अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 3(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नियंत्रण अधिनियम 1986 के अधीन अपराध का होना पाया जाता है। अभियोग कायम करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इनके द्वार किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है।

प्रदीप सिंह,

1. मु.अ.सं.– 279/1988 धारा– 354 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
2. मु.अ.सं.– 137/1997 धारा– 323, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
3. मु.अ.सं.– 145/1997 धारा– 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़
4. मु.अ.सं.– 18/1999 धारा– 452, 323, 384, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
5. मु.अ.सं.– 19/1999 धारा– 427, 504, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
6. मु.अ.सं.– 20/1999 धारा– 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़
7. एन.सी.आर.संख्या– 55/1997 धारा– 323, 504 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़

अनूप सिंह,

1. मु.अ.सं.– 18/1999 धारा– 452, 323, 384, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
2. मु.अ.सं.– 19/1999 धारा– 427, 504, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़

बृजेश सिंह,

1. मु.अ.सं.– 18/1999 धारा– 452, 323, 384, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़
2. मु.अ.सं.– 19/1999 धारा– 427, 504, 506 भा.दं.वि. थाना संग्रामगढ़

उपरोक्त तथ्यों एवं संलग्न अपराध तालिका में उल्लेखनीय वादों की समीक्षा से स्पष्ट है कि **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** उपरोक्त भा.दं.वि. के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराधों को करके लोक व्यवस्था भंग किये हैं। इस व्यक्ति का स्वच्छन्द रहना जनहित में नहीं है। इस प्रकार से **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** द्वारा गिरोह बनाकर स्वयं तथा गिरोह के सदस्यों के लिए जघन्य अपराध करके धन अर्जित करना एवं समाज में भय तथा आतंक व्याप्त करना उ0प्र0 समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि.

1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** उपरोक्त के विरुद्ध सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** गैंगचार्ट भी अनुमोदितशुदा प्राप्त हो चुका है।

3. गैंगचार्ट अनुमोदित हो जाने के उपरान्त वादी मुकदमा श्री फैजउद्दीन सिद्दीकी ,थाना संग्रामगढ़ की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.02.1999 को थाना संग्रामगढ़ पर मु०अ०सं० 22/1999, अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत दर्ज की गयी। प्रकरण की विवेचना की गयी। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** के विरूद्ध धारा–3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह, अनूप सिंह व बृजेश सिंह** के विरूद्ध धारा–3(1) उ० प्र० गिरोह बंद एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिनांक 03.12.2015 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। **अभियुक्तगण बृजेश सिंह सुत पन्ना सिंह निवासी हिसामपुर थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ के विरूद्ध दिनांक 16.04.2022 को वाद उपशमित किया जा चुका है।**

5. अभियोजन पक्ष ने अपने केस के समर्थन में साक्षीगण **पी०डब्लू० 1** साक्षी मो. सईद, **पी०डब्लू०** 2 फैजउद्दीन सिद्दीकी, **पी०डब्लू० 3** रिटायर्ड निरीक्षक मानसिंह यादव, **पी०डब्लू० 4** सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी विजय शंकर तिवारी को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर **प्रदर्श क–1**, गैंगचार्ट **प्रदर्श क–2** व मूल आरोप पत्र **प्रदर्श क–3** के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी और अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह व अनूप सिंह** के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किया गया तथा अभियुक्तगण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि वह निर्दोष है। उन्हें राजनैतिक विरोधियों की साजिश से पुलिस से मिलकर मुकदमा कायम कराया है और गैंगचार्ट में नामित किया है। अभियुक्तगण द्वारा यह भी कथन किया है कि उसका कोई आपराधिक गिरोह नहीं है, कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं की गई हैं उनका कोई भय व आतंक नहीं है। उनके द्वारा भौतिक लाभ के लिए कोई अपराध नहीं कारित किया गया है। अभियुक्तगण किसी गैंग के सदस्य नहीं है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है।

8. अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य के रूप में दाखिल कागज संख्या 10ख अपराध संख्या 18/1999 धारा 384,323,506 भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रश्नोत्तरी की प्रति दाखिल की गई है एवं कागज संख्या 11ख अपराध संख्या 19/1999 धारा 504,506,427 भारतीय दंड संहिता के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 13.01.2017 की प्रति दाखिल की गई है।

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 1 साक्षी मो0 सईद सुत मो0 हबीब, पेशा फेरी का व्यवसाय नि0 ग्राम विजयीमऊ, थाना संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ ने सशपथ बयान किया कि "वह और उसके पड़ोसी राम बहादुर सरोज सुत राम दुलारे जमीन विवाद में झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना हमने उनके खिलाफ थाना

संग्रामगढ़ में तहरीर दी। गांव में पुलिस आयी, मौका मुआयना देखा फिर पंचप्रधान ग्रामवासियों के समक्ष विवाद सुलझाया गया। प्रदीप सिंह का नाम पुलिस ने कैसे लिखा, नहीं पता। दरोगा जी गांव में गये थे या कान्स्टेबल, नहीं पता, पुलिस आयी थी। मुझसे पूछताछ कौन किया था, मुझे नहीं पता, वो वर्दी (पुलिस) में थे। एन.सी.आर. मैंने नहीं लिखवाया, कागज पर दस्तक हमसे करवाया था। क्या लिखा था, मुझे नहीं पता। "

अभियोजन के अनुरोध पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। जिरह द्वारा अभियोजन पक्ष गवाह को 161 का बयान पढ़कर सुनाया गया। "गवाह ने बताया ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है। दरोगा जी ने यह बयान कैसे लिख लिया, मुझे नहीं पता। पत्रावली में नकल एन.सी.आर. नं.–55/97 धारा 323, 504 आई.पी.सी. थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ की सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में संलग्न है, जिसमें घटना का समय व दिनांक 22.06.1997 समय 11.00 बजे दिन दि. सूचना व समय 28.07.1997 समय 14.00 बजे दिन वादी मो. सईद बनाम प्रदीप सिंह संलग्न पत्रावली है, को लिखाने से इंकार किया। यह कहा जो तहरीर मैंने थाने में दिया था, उसमें मैंने राम बहादुर का नाम दिया था। प्रदीप सिंह का नाम कैसे आ गया मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि प्रदीप सिंह दबंग आदमी है। मैं न्यायालय में उनके डर से बयान दे रहा हूँ। प्रदीप सिंह मेरे ग्रामसभा के रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत एक ही है, किन्तु मेरा और प्रदीप सिंह का गांव अलग–अलग है। मेरा और उनका संबंध सभी की तरह सामान्य है। राम बहादुर से भी हमारे संबंध सामान्य हैं।"

10. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू 2 फैजउद्दीन सिद्दीकी सुत स्व. शमशुद्दीन सिद्दीकी ग्राम व पोस्ट बड़सरा थाना करेन्डा जिला गाजीपुर उ.प्र. ने सशपथ बयान किया कि "दिनांक 03.02.1999 को बतौर उपनिरीक्षक थाना संग्रामगढ़ में कार्यरत था। अपने हमराही प्रमोद कुमार यादव व राधेश्याम तिवारी के साथ बीट सूचना के आधार पर बीट सूचना रपट नं–30 की जाँच हेतु दिनांक 03.02.1999 विजईमऊ गांव गया था, जहां पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रदीप सिंह सुत गिरेन्द्र सिंह निवासी विजईमऊ, अनूप सिंह सुत महेन्द्र सिंह निवासी धौरेहट, बृजेश सिंह सुत पन्ना सिंह निवासी ग्राम हिसामपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का एक संगठित गिरोह है, जो एक साथ मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए समाज विरोधी क्रियाकलाप एवं अनैतिक कार्यों को किया करते हैं और अवैध रूप से धनार्जन किया करते हैं और इनके द्वारा जघन्य अपराध किया जाना सामान्य बात है। हिंसा व धमकी देते हुए मारपीट कर लूटपाट करना सामान्य बात है। इनके द्वारा किये गये अपराध भा.दं.वि. के अध्याय 17, 22 के अन्तर्गत आता है। इनके विरुद्ध सामान्य जनता का कोई भी व्यक्ति डर व भय के कारण गवाही देने का साहस नहीं करता है। इसकी पुष्टि के बाद पूर्व में प्राप्त अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट के साथ एक किता तहरीर लिखकर मेरे द्वारा चिक संख्या 08/99 पर मु.अ.सं. 22/99 अन्तर्गत धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट विरुद्ध प्रदीप सिंह आदि तीन नफर पंजीकृत कराया था। पत्रावली में संलग्न मूल तहरीर कागज संख्या 04 क–3 संलग्न है, जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुए हैं। मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पत्रावली में संलग्न अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट कागज सं. 5 क–1 मूल रूप में संलग्न है जो थानाध्यक्ष मानसिंह यादव के द्वारा तैयार कराकर उनके द्वारा हस्ताक्षरित है। मानसिंह यादव मेरे थानाध्यक्ष थे, जिनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देखा था। मूल गैंगचार्ट पर बने हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।"

11. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.– 3 सेवानिवृत्त निरीक्षक मान सिंह यादव सुत स्व. सन्तराम यादव जिला हरदोई उ.प्र. ने सशपथ बयान किया कि "सन् 1999 में बतौर थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ में कार्यरत था। अभियुक्तगण प्रदीप सिंह, अनूप सिंह और बृजेश सिंह के विरुद्ध अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात् दिनांक 28.11.1999 को गैंगचार्ट तैयार कराकर उच्चाधिकारियों से प्रस्तावित कराकर श्रीमान जिला मजि. महोदय प्रतापगढ़ से अनुमोदन के पश्चात उपनिरीक्षक फैजुद्दीन सिद्दीकी को जाँच हेतु दिया गया था। पत्रावली में कागज संख्या 5क/1 मूल गैंगचार्ट विरुद्ध अभि. प्रदीप सिंह आदि 3 नफर पत्रावली में मूल रूप से संलग्न है, जो मेरे द्वारा तैयार कराकर हस्ताक्षर बनाया गया है। गैंगचार्ट पर बने हुए हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर पूर्व से **प्रदर्श क–2** पड़ा हुआ है। अभियोग जाँच उपरान्त फैजुद्दीन सिद्दीकी ने पंजीकृत कराया था। इस प्रकार मु.अ.सं. 22/1999 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की विवेचना मुझ थानाध्यक्ष द्वारा प्रारम्भ की गयी। पर्चा नं–1 दिनांक 03.02.1999 को किता किया जिसमें नकल जाँच रिपोर्ट बीट सूचना, नकल रपट, नकल गैंगचार्ट किता किया। पर्चा नं–2 दिनांक 04.02.1999 को किता किया जिसमें बयान वादी फैजुद्दीन सिद्दीकी, बयान गवाह प्रमोद कुमार, बयान कां. राधेश्याम मिश्रा, अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास, अभियुक्तगण बयान गवाह मो. सईद अंकित किया। पर्चा नं–3 दिनांक 08.02.99 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण प्रदीप सिंह के न्यायालय में हाजिर होने की जानकारी प्राप्त होने पर माननीय गैंगेस्टर न्यायालय में तलब कर रिमाण्ड बनाने हेतु कार्यवाही की जायेगी, अंकित किया। पर्चा नं–4 दिनांक 09.02.1999 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण प्रदीप सिंह का 60 दिन का रिमाण्ड बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। पर्चा नं–5 दिनांक 10.02.1999 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण प्रदीप सिंह का रिमाण्ड बनाये जाने व अभियुक्त प्रदीप सिंह का बयान अंकित किये जाने का विवरण है। पर्चा नं–6 दिनांक 15.02.1999 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के वादीगणों मु.अ.सं. 18/1999 व 19/1999 के गोविन्द प्रसाद पाण्डेय व बोधी हरिजन का बयान अंकित किया। वादी मुकदमा 137/1997 के वादी अनिल कुमार सिंह का बयान अंकित किया। मु.अ.सं. 18/1999 के विवेचक फैजुद्दीन सिद्दीकी का बयान अंकित किया। जिसमें उन्होंने 18/1999 में प्रदीप सिंह आदि के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने का कथन करते हुए बताया कि प्रदीप आदि का एक शातिर अपराधी गैंग है, जो जिसका क्षेत्र में भय व आतंक है। मु.अ.सं. 18/1999 व 19/1999 के एफ.आई.आर. लेखक कां अशोक कुमार तिवारी का बयान अंकित किया। मु.अ.सं. 19/1999 के विवेचक राजेन्द्र प्रताप का बयान अंकित किया। पर्चा नं–7 दिनांक 21.02.1999 को किता किया जिसमें मु.अ.सं. 137/1997 के विवेचक विजय शंकर तिवारी का बयान अंकित किया। पर्चा नं–8 दिनांक 24.02.1999 को किता किया जिसमें तमामी विवेचना साक्षियों के बयान से अभियुक्तगण प्रदीप सिंह व बृजेश सिंह व अनूप सिंह के विरुद्ध जुर्म 3(1) गैंगेस्टर एक्ट संस्थित होने पर आरोप पत्र संख्या 9/24.02.1999 माननीय न्यायालय प्रेषित किया। कागज संख्या 3क/1 मूल आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। दिनांक 25.03.1999 को एस.सी.डी–1 किता किया जिसमें अभियुक्तगण बृजेश सिंह व अनूप सिंह का बयान अंकित किया।"

12. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.4 सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी विजयशंकर तिवारी सुत स्व. हरिहर तिवारी निवासी ग्राम खुरहना जनपद चन्दौली ने सशपथ बयान किया कि "वर्ष 1996 से 1997 में बतौर थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ कार्यरत था। केस नं. 137/1997 की विवेचना मेरे द्वारा किया गया था। जिसमें

तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण प्रदीप सिंह सुत गिरेन्द्र सिंह निवासी विजयीमऊ का चालान आरोप पत्र संख्या–38/1997 धारा–323, 504, 506 आई.पी.सी. दिनांक 07.08.1997 को किया था। अभि. प्रदीप सिंह का क्षेत्र में आतंक व भय था, जिसके कारण उसके विरुद्ध केस नं. 145/1997 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट चालानी रिपोर्ट माननीय जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रेषित किया था। केस नं. 137/1997 की आरोप पत्र की प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ। दौरान विवेचना गैगेस्टर एक्ट के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

13. उल्लेखनीय है धारा 2 उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप, निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को दंडनीय होने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्तगण के द्वारा (धारा 2ख उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप, निवारण अधिनियम में यथा प्रावधानित) लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से या अभियुक्तगण या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित दुनियाबी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रियाकलाप यथा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17, 22 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध आदि (धारा 2ख के खण्ड 1 से 15 के अन्तर्गत यथा उपबन्धित) किए जाये।

14. इस प्रकार अभियोजन को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह व अनूप सिंह** का एक संगठित गिरोह रहा है तथा अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तथा गैंग बनाकर मारपीट, जबरन वसूली, छेड़छाड़, गुंडागर्दी आदि जैसे अपराध कारित किये हैं तथा अपने साथियों जो इस गैंग के सदस्य हैं, के साथ मिलकर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त किया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

15. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजन एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया।

16. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। जिसके सदस्य के रूप में वे आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध करके अवैध रूप से धन अर्जित करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा गिरोह के रूप में मारपीट, जबरन वसूली, छेड़छाड़, गुंडागर्दी आदि गतिविधियां करके लोक व्यवस्था को भंग किया गया है। अभियुक्तगण के आतंक के कारण उनके विरुद्ध कोई भी गवाही देने तथा अपराध पंजीकृत कराए जाने का साहस नहीं करता है। अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्यों तथा प्रवृत्ति के कारण जिलाधिकारी द्वारा उन्हें गुंडा एक्ट के अंतर्गत बहिष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित चार साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने की याचना की गई है।

17. इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है की उन्हें राजनीतिक विरोधियों की साजिश के कारण मुकदमे में गलत फंसाया गया है तथा गैंग चार्ट में नामित किया गया है। उनका कोई गिरोह नहीं है न ही असामाजिक कृत्य अथवा अपराध करके उनके द्वारा

धनार्जन किया गया है। अभियुक्तगण के विरोधियों से मिलकर पुलिस द्वारा लगातार अपराध संख्या 18/1999, 19/1999 तथा 20/1999 दर्ज करवा कर अभियुक्तगण के विरुद्ध गलत तरीके से गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कराई गई है। गैंगचार्ट में उल्लिखित मामले गंभीर प्रकृति के नहीं है, केवल मारपीट आदि से संबंधित हैं। अधिकतम मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुके हैं। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अभियुक्तगण ने अपराधिक कृत्य से कोई आर्थिक अथवा भौतिक लाभ प्राप्त किया है। अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपो को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोष मुक्त किए जाने की याचना की गई है।

18. प्रस्तुत मामले में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त द्वारा गिरोह के सदस्य के रूप में लोकव्यवस्था को अस्त–व्यस्त कर भा.दं.सं. के अध्याय 16, 17, 22 के अन्तर्गत अपराध किये हैं। उसका जनता में इतना भय है कि कोई उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये तैयार नहीं है।

उपरोक्त के संदर्भ में **धारा 2(b) उ.प्र. गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में गैंग की परिभाषा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जो निम्न है– "Gang" means a group of persons, who acting either singly or collectively, by violence, or threat or show of violence, or intimidation, or coercion, or otherwise with the object of disturbing public order or of gaining any undue temporal, pecuniary, material or other advantage for himself of any other person, indulge in anti–social activities, namely.**

19. दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति का निर्धारण न्यायालय को करना है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा यह साबित किया जाना है कि अभियुक्त एक सक्रिय गिरोह का सरगना अथवा सदस्य है तथा उसका एक संगठित गिरोह है। वह अकेले या अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था भंग करता है तथा अपने या अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को अपराध के माध्यम से अनुचित आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध कारित किया है।

20. सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण का एक गिरोह है तथा गैंग के सदस्य/सरगना के रूप में उनके द्वारा अपराधिकृत किए गए हैं। इस संदर्भ में सर्वप्रथम गैंग चार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैंगचार्ट में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, लूट आदि के अपराध किया जाना परिलक्षित है। उनके आपराधिक गतिविधियों के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। जिसका अनुमोदन कराया गया है। अभियुक्तगण के अतिरिक्त अभियुक्त बृजेश को भी गैंग का सदस्य बताया गया है, जिसकी दौरान विवेचना मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई उपशमित की जा चुकी है।

21. उपरोक्त के संदर्भ में साक्षी पी.डब्लू.1 जो मुकदमा अपराध संख्या 55/1997 धारा 323, 504 भारतीय दंड संहिता के मामले के वादी मुकदमा है, इनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि उसका अपने पड़ोसी राम बहादुर सरोज के साथ जमीनी विवाद था, जिसकी थाने पर तहरीर दी गई थी, किंतु पंचप्रधान और ग्रामवासियों के समक्ष विवाद सुलझ गया था। प्रदीप सिंह का नाम पुलिस ने कैसे लिख लिया इसकी जानकारी से इंकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा प्रति परीक्षा की गई है। अपनी प्रति परीक्षा में साक्षी पत्रावली पर संलग्न एनसीआर संख्या 55/1997 धारा 323, 504 भारतीय दंड संहिता थाना संग्रामगढ़ को लिखे जाने से इंकार किया है। यह भी कहा है कि जो तहरीर उसके द्वारा दी गई थी उसमें साक्षी ने राम बहादुर का नाम दिया था, प्रदीप सिंह

का नाम कैसे आ गया, इसकी जानकारी से इंकार किया है। स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा इस साक्षी से की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक को बल मिल सके।

22. साक्षी पी.डब्लू. 2 जो प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा है, इन्होंने अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा है कि गैंगचार्ट उसे थाने पर मिला था तथा वह गैंग चार्ट लेकर गया था। बीट सूचना के आधार पर जांच के लिए क्षेत्र में गया था। क्षेत्र में साक्षी द्वारा किससे बात की गई है, यह रिपोर्ट में लिखे जाने से इंकार किया है। गैंगचार्ट में अभियुक्तों के विरुद्ध लूट, डकैती, चोरी का कोई मुकदमा पंजीकृत होना उल्लिखित नहीं है। गैंगचार्ट में हत्या या हत्या का प्रयास का मुकदमा भी अंकित होने से इंकार किया है। गैंगचार्ट थाना अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28.01.1999 को तैयार किया गया तथा दिनांक 02.02.1999 को जिलाधिकारी को अग्रसारित किए जाने के उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.02.1999 को पंजीकृत होना कहा है। साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई जघन्य अपराध, लूटपाट आदि का मुकदमा पंजीकृत नहीं था।

23. पी.डब्लू. 3 जो प्रस्तुत मामले की विवेचक है। उनके द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा गया है कि विवेचना के समय वह थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ के पद पर तैनात थे। उन्हीं के द्वारा इस मुकदमे का गैंगचार्ट तैयार किया गया था और पूरी विवेचना भी की गई। वादी मुकदमा फैजुद्दीन सिद्दीकी इस दौरान साक्षी के मातहत थाना संग्रामगढ़ में तैनात थे। इस मुकदमे की विवेचना किसी अन्य थाने से कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को उसके द्वारा नहीं लिखा गया था। मुकदमा चलाए जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति जिला अधिकारी से प्राप्त किए जाने से भी इंकार किया है।।

24. साक्षी पी.डब्लू. 4 अपराध संख्या 137/1999 के वादी मुकदमा है तथा 145/1997 गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध की गई है। अपनी प्रति परीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि गैंगस्टर के मुकदमे में विवेचक द्वारा इसका साक्ष्य लिखा गया है, उसे जानकारी नहीं है। कोई बयान लिए जाने से भी इंकार किया है। किंतु फिर कहा है कि विवेचक ने उसका बयान लिया था। यह याद होने से इंकार किया है कि किसी पब्लिक के व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण का भय या आतंक होने का कथन साक्षी के थाने पर तैनात रहने के दौरान किया गया था अथवा नहीं। साक्षी द्वारा एक ओर यह कहा गया है कि विवेचक ने उसका बयान नहीं लिया था वहीं दूसरी ओर बयान अंकित किया जाना स्वीकार किया है। अतः इस साक्षी द्वारा परस्पर विरोधाभाषी कथन किए गए हैं। इस साक्षी की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है।

25. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है की अभियुक्तगण द्वारा किए गए अपराधिक कृत्यों के आधार पर उनका नाम गैंगचार्ट में अंकित किया जाना कहा गया है। अभियुक्त प्रदीप सिंह के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का उल्लेख गैंगचार्ट में है तथा साक्षी पी.डब्लू. 4 द्वारा भी अपने बयान में गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का कथन किया है, किंतु इस संबंध में कोई भी प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अभियोजन का यह कथन है कि अभियुक्तगण तथा उनके मृतक सह अभियुक्त द्वारा मिलकर गैंग के रूप में अपराध कारित किए जाते थे, किंतु अभियोजन द्वारा परीक्षित उपरोक्त किसी भी साक्षी द्वारा अपने बयान में यह नहीं कहा गया है कि अभियुक्त का कोई गैंग है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के किसी भी वादी मुकदमा को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। साक्षी पी.डब्लू. 1 जो मुकदमा अपराध संख्या 55/1997 के वादी मुकदमा हैं, उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन

नहीं किया गया है। अतः अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त का एक गैंग है जिसके सदस्य के रूप में संयुक्त अथवा पृथक रूप से उनके द्वारा अपराध कारित किया जाता है।

26. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16,17 अथवा 22 के अंतर्गत अपराध किए गए हैं। इस संदर्भ में दौरान बहस अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज मामलों के आधार पर ही गैंगचार्ट बनाकर उसे नियमानुसार अनुमोदित कराया गया है। गैंगचार्ट में अभियुक्त प्रदीप सिंह पर 7 मामले तथा अभियुक्त अनूप सिंह के विरुद्ध 02 मामले दर्ज होने का उल्लेख है। जिसमें मारपीट, रंगदारी , अवैध वसूली आदि के मामले शामिल है। अभियुक्त प्रदीप सिंह की अपराधिक प्रवृत्ति के कारण उसके विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। अभियुक्तगण का समाज में इतना डर तथा भय व्याप्त है कि कोई भी उनके विरुद्ध गवाही देने से डरता है। उनके द्वारा किए गए अपराधों के कारण लोक व्यवस्था भंग हुई है।

27. इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त न तो किसी गैंग के सदस्य हैं और न ही उनके द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया गया है। अभियोजन की ओर से गैंग चार्ट में वर्णित किसी भी मामले में दोषसिद्धि से संबंधित प्रपत्र दाखिल नहीं किए गए। जबकि अभियुक्तगण इन मामलों में से अधिकतम मामलों में दोषमुक्त हो चुके हैं। केवल राजनीतिक रंजिश के कारण विरोधियों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने पर झूठा फंसाया गया है।

28. इस संदर्भ में साक्षी पी.डब्ल्यू. 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उसका यह कहना है कि उसके पड़ोसी राम बहादुर सरोज के साथ जमीनी विवाद के कारण झगड़ा हुआ था। जो ग्राम वासियों तथा पंचायत द्वारा बातचीत के आधार पर सुलझ गया। अभियुक्त के विरुद्ध उसके द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस ने अभियुक्त का नाम किस प्रकार लिख लिया इसकी जानकारी से इंकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने के उपरांत की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि मु.अ.सं. 55/1997 के मामले में उसने विवेचक को कोई बयान नहीं दिया था। उसका बयान कैसे अंकित हो गया इसकी जानकारी नहीं है। यह भी कहा है कि गैंगेस्टर एक्ट के संबंध में पुलिस द्वारा उसका कोई बयान नहीं लिया गया था। विवेचक द्वारा यह कैसे लिख लिया गया कि वह अभियुक्त तथा उसके साथियों से भयभीत रहता है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा उसके विरुद्ध कोई अपराध किए जाने से इनकार किया है तथा किसी अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता से भी इंकार किया है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य उजागर नहीं कराया गया है जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन मिले।

29. पी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा है कि गैंगचार्ट थाना अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था।अभियुक्तों के विरुद्ध कोई जघन्य अपराध एवं लूटपाट आदि का मुकदमा दर्ज नहीं था। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107 ,116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही का कोई उल्लेख गैंगचार्ट में नहीं है। यह साक्षी प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा है जिसके द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई जघन्य अपराध गैंग चार्ट में वर्णित नहीं है। पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा गया है कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107, 116 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। गैंगचार्ट में अपहरण का भी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। पी.डब्ल्यू. 3 प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं, जिन्होंने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट

बनाते समय अथवा विवेचना के दौरान कोई जघन्य अपराध का मुकदमा पंजीकृत नहीं था। दोनों ही साक्षियों ने अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई निरोधात्मक कार्यवाही उसी दौरान होने से भी इंकार किया है।

30. पी.डब्ल्यू. 4 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में प्रस्तुत मामले की विवेचक द्वारा उसका बयान अंकित किए जाने के संदर्भ में परस्पर विरोधाभाषी कथन किए हैं। साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि संबंधित मामले की विवेचना के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियुक्तगण का डर है व आतंक होने के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य में दाखिल कागज संख्या 10 ख अपराध संख्या 18/1999 धारा 384, 323, 506 भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रश्नोत्तरी की प्रति दाखिल की गई है, जिसमें अभियुक्त अनूप सिंह का उक्त मामले में दोष मुक्त होने का उल्लेख है । कागज संख्या 11 ख अपराध संख्या 19/1999 धारा 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता के मामले में पारित निर्णय दिनांकित 13.01.2017 की प्रति दाखिल की गई है जिसमें न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया गया है।

31. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि अभियुक्तगण ने गैंग के सदस्य अथवा सरगना के रूप में कोई अपराध कारित किए हैं। अभियुक्तगण द्वारा दाखिल कागज संख्या 10 ख एवं 11 ख से स्पष्ट है कि अभियुक्त दोनों मामलों में दोष मुक्त हो चुके हैं। इसकी अतिरिक्त अन्य किसी भी मामले में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि से संबंधित प्रपत्र अभियोजन द्वारा दाखिल नहीं किए गए हैं। पी.डब्ल्यू. 4 द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण का कोई डर अथवा आतंक होने के संबंध में किसी भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं किया था। अभियोजन द्वारा अन्य कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित किया था, जिस कारण उनका समाज में भय एवं आतंक था। इसी भय तथा आतंक के चलते कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध साक्ष्य देने से डरता है। अतः अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अध्याय 16, 17 अथवा 22 में वर्णित अपराध कारित किए हैं।

32. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा गैंग के सदस्य अथवा सरगना के रूप में अपराध करते हुए आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में पी.डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति के संबंध में अपनी रिपोर्ट अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। पी.डब्ल्यू. 3 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कहा है कि गैंगचार्ट तैयार करने से पहले अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति के संबंध में उसने पता नहीं किया था। दौरान विवेचना मुल्जिमानों के विरुद्ध धारा 14(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही से भी इंकार किया है।

33. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों ने अपने बयान में अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई जानकारी होने से इंकार किया है। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि अभियुक्तगण की कोई चल अथवा अचल संपत्ति थी। अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि अभियुक्त ने आपराधिक कृत्य से भौतिक अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त कर संपत्ति अर्जित की गई है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 14 उ०प्र० गिरोह बंद एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई कार्यवाही किए जाने से विवेचक पी.डब्ल्यू. 3 द्वारा इनकार किया गया है। पत्रावली पर भी धारा 14 विशेष अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में

कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने अपराध के माध्यम से कोई परिसंपत्ति अर्जित की है।

34. पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा किसी मामले में लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया गया है एवं उनका समाज में भय तथा आतंक है, जिस कारण उसके विरुद्ध कोई गवाही नहीं देता है और समाज में उसका खुलेआम घूमना उचित नहीं है। ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए अपराध के द्वारा कोई आर्थिक अथवा भौतिक संपत्ति एकत्रित की गई हो। अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति तथा उनकी संपत्ति के संबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

35. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही किये जाते समय उनके विरुद्ध कई बार निरोधात्मक कार्यवाही की गई थी, किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। जिसके सदस्य के रूप में वे अपराध कारित करते हैं। सत्र परीक्षण वाद संख्या 18/1999 तथा 19/1999 में अभियुक्तगण विचारण के उपरान्त दोषमुक्त किये जा चुके हैं। अन्य किसी भी मामले में अभियुक्तगण की दोषसिद्धी से संबंधित प्रपत्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन यह भी साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़, मारपीट, छिनैती इत्यादि अपराध कारित कर आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करके स्वयं या किसी अन्य के नाम परिसंपत्ति एकत्रित की गई है। यह भी साबित नहीं है कि अभियुक्तगण का जनता में आतंक एवं डर था। अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये सभी आरोपों को संदेह से परे साबित करने मे पूर्णतः असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह** व **अनूप सिंह** को अधिरोपित अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

36. अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह** व **अनूप सिंह** को मु०अ०सं० 22/1999 थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ के प्रकरण में अन्तर्गत धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

37. अभियुक्तगण प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर हैं। अतः अभियुक्तगण के जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा अभियुक्तगण के जमानतदारों को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

38. अभियुक्तगण **प्रदीप सिंह** व **अनूप सिंह,** धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु० 20,000/– रूपये का स्व–बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू अविलम्ब दाखिल करें।

दिनाँक : 23.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
गैंगेस्टर एक्ट प्रतापगढ़।

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया है।

दिनाँक : 23.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
गैंगेस्टर एक्ट प्रतापगढ़।

विकाश प्रभाकर/–स्टेनो